बैठक दिनांक 27-08-2015

संख्या- 69/2015/931/एक-6-2015-15(12)/2014

प्रेषक,

डी0 के0 सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- प्रमुख सचिव,
वित्त विभाग,
उ0प्र0 शासन।

2- प्रमुख सचिव,
नियोजन विभाग,
उ0प्र0 शासन।

राजस्व अनुभाग-6 **लखनऊ दिनांक अगस्त, 2015**

विषय: राजस्व परिषद, उ0प्र0 इलाहाबाद के कार्यालय भवन के जीर्णोद्वार एवं साज-सज्जा हेतु चालू वित्तीय वर्ष के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति हेतु अतिरिक्त परिव्यय की व्यवस्था किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रकरण में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजस्व परिषद, उ0प्र0 इलाहाबाद के जीर्णोद्वार एवं साज-सज्जा हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने हेतु राजस्व अनुभाग-6 की पत्रावली संख्या- 15(12)/2014 और 15(13)/2014 वित्त विभाग को संदर्भित की गयी थी। वित्त विभाग द्वारा यह उल्लेख किया गया है कि प्रश्नगत योजना हेतु बजटीय व्यवस्था नियोजन विभाग से अतिरिक्त परिव्यय प्राप्त किये जाने की शर्त पर की गयी थी। वित्त विभाग द्वारा अतिरिक्त परिव्यय के साथ प्रश्नगत प्रायोजना हेतु कार्यालय ज्ञाप दिनांक 30 मार्च, 2015, के प्रस्तर-2 के अनुसार नियोजन विभाग की किलयरेन्स प्राप्त कर पत्रावली पुन: भेजने का अनुरोध किया गया है।

2- उल्लेखनीय है कि वित्त विभाग द्वारा उक्त प्रायोजना हेतु बजटीय व्यवस्था करते हुए यह शर्त लगायी गयी थी कि राजस्व विभाग को आवंटित परिव्यय रू0 210.12 करोड़ के सापेक्ष एवं नये कार्यों हेतु की जाने वाली बजटीय व्यवस्था रू0 256.6685 करोड़ के दृष्टिगत रू0 46.5485 करोड़ के अतिरिक्त परिव्यय की आवश्यकता होगी। अतिरिक्त परिव्यय हेतु राजस्व अनुभाग-6 की पत्रावली संख्या- 15(4)/2015 नियोजन विभाग को संदर्भित की गयी। नियोजन विभाग द्वारा अवगत कराया है कि वर्ष 2015-16 में बजट प्राविधान कराये जाने के लिए राजस्व विभाग को क्रमश: निम्न प्रकार परिव्यय का आवंटन किया गया है:-

(1)	भूमि सुधार	रू0 0.02 करोड़
(2)	अनावासीय भवनों हेतु	रू0 47.68 करोड़
(3)	आवासीय भवनों हेतु	रू0 210.14 करोड़
	योग-	**257.84 करोड**

http://shasanadesh.up.nic.in

इसके साथ ही नियोजन विभाग द्वारा यह भी स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया है कि विभाग को किस योजना में तथा किस सीमा तक अतिरिक्त परिव्यय अपेक्षित है। चूँकि राज्य योजना आयोग से निर्गत शासनादेश दिनांक 30-12-2014 के माध्यम से राजस्व विभाग को जो परिव्यय आवंटित किया गया है, उसमें योजनाओं का उल्लेख नहीं है। अत: योजनावार अतिरिक्त परिव्यय की स्थिति स्पष्ट किये जाने में कठिनाई आ रही है।

4- इस सम्बन्ध में विचार-विमर्श एवं मत स्थिर करने हेतु प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग की अध्यक्षता में उनके कार्यालय कक्ष में दिनांक 27-08-2015 को मध्यान्ह 12.00 बजे बैठक आहूत की गयी है। कृपया पूरी तैयारी एवं सुसंगत सूचना सहित उक्त बैठक में प्रतिभाग किये जाने हेतु भिज्ञ अधिकारी, जो विशेष सचिव से अनिम्न स्तर के न हो, को प्रतिभाग करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डी0 के0 सिंह)
विशेष सचिव

संख्या- 931(1)/एक-6-2015-15(12)/2014, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, विभाग उ0प्र0 शासन।
2- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया बैठक में प्रतिभाग किये जाने हेतु किसी भिज्ञ अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें।
3- निजी सचिव, सचिव, राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- निजी सचिव, विशेष सचिव, राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।
5- अनुभाग अधिकारी, राजस्व अनुभाग-4,5, 9, 10, एवं 12 को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया इस बैठक में पूरी तैयारी/सुसंगत सूचना सहित उपस्थित रहे।

आज्ञा से,

(डी0 के0 सिंह)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in